भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1910**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर लगाया गया जीएसटी

1910. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों पर लगाए गए जीएसटी और सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे उर्वरकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर लगाए गए जीएसटी के बीच बहुत बड़ा अंतर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने देश में उर्वरक विनिर्माण कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर लगाए जाने वाले जीएसटी में कमी करने की सिफारिश की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ड.) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन उनकी मांग के अनुपात में नहीं है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(छ) क्या सरकार का देश में उर्वरकों की कमी को देखते हुए जैव-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): वर्तमान में, सभी उर्वरकों पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आदानों/कच्चे माल पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। जीएसटी में छूट और दरें सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) और (घ): सूक्ष्म पोषक-तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी घटाने के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को 53वीं जीएसटी परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी परिषद ने इस मामले को समग्र रूप से विचार किए जाने हेतु दरों के युक्तिसंगतीकरण संबंधी मंत्री समूह को भेज दिया है।

(ड.) और (च): वर्ष 2022-23 से सभी उर्वरकों के उत्पादन और मांग के संबंध में आंकड़े **अनुलग्नक-क** और **अनुलग्नक-ख** पर संलग्न हैं। जब कभी उर्वरक की मांग और उत्पादन के बीच अंतर होता है तो उसे उर्वरकों के आयात के जरिये पूरा किया जाता है।

सरकार ने देश को पीएंडके उर्वरकों के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने तथा देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत आने वाली उर्वरक कंपनियों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जाती है और नई पीएण्डके कंपनियों तथा उनके उर्वरक उत्पादों को एनबीएस के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, को 13.10.2021 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है।

यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति (एनआईपी) की घोषणा की थी। नीति के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनराकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए से बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अतिरिक्त, नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने हेतु एक

विशेष नीति का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया उत्पादन में 2014-15 के दौरान के उत्पादन की तुलना में वार्षिक रूप से 20-25 एलएमटीपीए की वृद्धि हुई है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन 2014-15 में 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर 2023-24 में 314.09 एलएमटी के रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन के स्तर पर पहुंच गया है।

(छ): सरकार मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण ह्रास और भूजल के संदूषण को रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु पौधों के पोषक तत्वों के इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक (खाद, जैव-उर्वरक आदि) दोनों स्रोतों के मिले-जुले प्रयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रहा है। इसके अलावा, उर्वरकों के अलग-अलग अनुप्रयोग तथा प्लेसमेंट, धीमी गति से रिलीज होने वाले नाइट्रोजन-उर्वरकों के प्रयोग और नाइट्रीकरण अवरोधकों, फलीदार फसलों को उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग की भी सिफारिश की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, फ्रंट-लाइन प्रदर्शनों का आयोजन करता है और सार्वजनिक अभियान चलाता है। उर्वरकों के ऑर्गेनिक स्त्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और प्रौद्योगिकी के प्रसार के संबंध में कार्यकलाप किए हैं। कई ऑर्गेनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संवर्धन प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। जैव-उर्वरक के उपयोग को बढ़ाने के लिए, आईसीएआर ने विशेष रूप विभिन्न फसलों और मृदा प्रकारों के लिए जैव-उर्वरकों के उन्नत और कुशल प्रकार विकसित किए हैं। उच्चतर शेल्फ लाइफ के साथ तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है। ये किसानों और अन्य हितधारकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आईसीएआर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है और इस संबंध में सरकारी स्कीमों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

सरकार ने हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत) स्कीम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि को कवर करने वाली अम्ब्रेला गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500/एमटी की दर से बाजार विकास सहायता को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, ऑर्गेनिक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सभी उर्वरक विपणन कंपनियों से फसलों के लिए संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए "बास्केट एप्रोच" के रूप में रासायनिक उर्वरक के साथ किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम) और अन्य ऑर्गेनिक और जैव-उर्वरक के अनिवार्य उठान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

****

अनुलग्नक-क

दिनांक 02.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1910 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सभी उर्वरकों का वर्ष -वार उत्पादन

उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)							
वर्ष	**यूरिया**	**ए/एस**	**डीएपी**	**मिश्रित**	**एसएसपी**	**टीएसपी**	**कुल उर्वरक**
2022-23	284.94	7.45	43.47	92.95	56.44	0.04	**485.29**
2023-24	314.07	6.37	42.93	95.48	44.44	0.04	**503.35**
2024-25 (जून 2024 तक)	75.62	1.44	10.00	25.16	13.09	0.00	**125.31**

अनुलग्नक-ख

दिनांक 02.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1910 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2022-23 से 2023-24 तक तथा खरीफ 2024 (जून 2024 तक) तक अखिल भारतीय मांग (एलएमटी में)				
क्र.सं.	**उर्वरक**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (जून 2024 तक)**
1	यूरिया	359.19	356.08	78.06
2	डीएपी	114.20	110.18	29.29
3	एमओपी	34.17	27.62	4.77
4	एनपीकेएस	120.69	126.31	33.01